

उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक A/522 /

जबलपुर, दिनांक 7 / 2 / 2026

दो-14-188 / 24

श्री उमेश कुमार खीची, ज्यूडिशियल प्रूफ रीडर (इंग्लिश), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर वर्तमान में उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ इंदौर की स्थापना पर संलग्न को राजस्थान जाने हेतु दिनांक 09.02.2026 से 13.02.2026 तक 5 दिन का अर्जित अवकाश एवं (prefix 08-02-2026 and suffix 14.02.2026) मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।


(मुकेश रावत)
रजिस्ट्रार (डी.ई.)

पृष्ठांकन क्रमांक A/523 /

जबलपुर, दिनांक 7 / 2 / 2026

दो-14-188 / 24

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश, खण्डपीठ-इंदौर की ओर उनके ज्ञापन क्रमांक प्रशासन/574-पी/284 इंदौर दिनांक 04.02.2026 के संदर्भ में श्री उमेश कुमार खीची, ज्यूडिशियल प्रूफ रीडर (इंग्लिश), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर वर्तमान में उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ इंदौर की स्थापना पर संलग्न के आदेश प्राप्ति की अभिस्वीकृति इस रजिस्ट्री को भिजवाने का कष्ट करें।
संलग्न : उपरोक्तानुसार।
2. रजिस्ट्रार (प्रशा.), उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित,
3. सहायक अवकाश, स्थापना शाखा, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


(मुकेश रावत)
रजिस्ट्रार (डी.ई.)